



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. : 1694 का संशोधन सहीत नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1694
विषय / Sub : मिग सीरीस वायुयान हेतु लैंप, पार्ट सं. एसएम-15- I (26 V-10डब्ल्यू)
Lamp, Part No.: SM-15-I (26V-10W) for MiG Series Aircraft

यह घोषित किया जाता है कि मिग सीरीज़ वायुयान हेतु मेसर्स जे एस लैंप इंडस्ट्रीस, प्लॉट सं. 3, वार्ड सं. 9, पंजाब नैशनल बैंक के सामने, पुराना फरीदाबाद -121 002 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "लैंप", पार्ट सं. एसएम-15- I (26 वी-10 डब्ल्यू), को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1694, दिनांक 25 नवंबर 2011, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.1694 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक था।

This is to state that the "Lamp", bearing the Part Number: SM-15- I (26V-10W) for MiG Series Aircraft, designed, developed and manufactured by M/s J S Lamp Industries, Plot No.3, Ward No.9, Opposite Punjab national Bank, Old Faridabad -121 002, was issued with Type Approval No.:1694 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1694, dated: 25th November 2011 with its validity up to 31st December 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), ओझार टाउनशिप - 422 207, नासिक से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), Ojhar Township - 422 207, Nasik, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1694, दिनांक 25 नवंबर 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1694, dated: 25th November 2011 is amended as stated herewith.

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए./TA-1694/1R

दिनांक / Date : 23 February 2017

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

Anand

P. Jayal

(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)